पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02–06–2021

दिनांक 01/02–06–2021 को रात्रि थाना चिनहट 08 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 पूर्वी

अवैध ञराब के साथ गिरफ्तार

थाना आशियाना:–दिनांक 01–06–2021 को एस0आई0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना आटियाना द्वारा अभियुक्त 01–अंबिका प्रसाद शुक्ला पुत्र सरवेंद्र कुमार शुक्ला निवासी हरीपुर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई को उसरी तिराहे पर पेट्रोल पंप के पीछे, मोटर गैराज आशियाना से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 अदद क्वाटर विंडीज ब्रांड (04 लीटर) बरामद कर थाना आटियाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

अवैध ताड़ी के साथ गिरफ्तार

थाना काकोरी:–दिनांक 01–06–2021 को एस0आई0 श्री वि८वदीपक थाना काकोरी द्वारा अभियुक्त 01–राम नरेश पुत्र स्व0 मेवालाल निवासी ग्राम कटौली थाना काकोरी लखनऊ 02–राजू पुत्र स्व0 मेवालाल निवासी ग्राम कटौली थाना काकोरी लखनऊ 03–सर्वजीत पुत्र गोमती प्रसाद रावत निवासी ग्राम कटौली थाना काकोरी लखनऊ को ग्राम कटौली गाँव की तरफ जाने वाले खड़न्जे पर सर्वजीत के मुर्गी फार्म के पास काकोरी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 30 लीटर अवैध ताडी बरामद कर थाना काकोरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अवैध ञराब व ञराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार

थाना मोहनलालगंज:–दिनांक 02–06–2021 को एस0आई0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना मोहनलालगंज द्वारा अभियुक्त 01–दिने८ा कुमार पुत्र स्व0 राम औतार निवासी ग्राम खुजौली थाना मोहनलालगंज लखनऊ को गौ८ााला के पास ग्राम खुजौली, मोहनलालगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची ञराब व ञराब बनाने के उपकरण बरामद कर थाना मोहनलालगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना काकोरी:–दिनांक 02–06–2021 को थाना काकोरी द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुनील कुमार पुत्र औसान निवासी हरदोईया लालनगर थाना काकोरी लखनऊ ने थाना काकोरी पर सूचना दिया कि आज दिनांक 02–06–2021 को समय करीब 09.45 बजे प्रात: वादी अपनी मोटर साइकिल नं0 यूपी 32 सीयू 6599 स्पलेण्डर से ग्राम भदोही जा रहा था कि जैसे ही वादी ग्राम बेहटा पहुँचा तो एक व्यक्ति वादी के पीछे बुलट पर सवार एक लड़की के साथ आ

रहा था कि बेहटा बाजार पास करके करीब 200 मीटर आगे उसने वादी को रोका और बोला कि तुमने लड़की को छेड़ा है, और वादी से बहस करने लगा और बेहटा निवासी रिंकू रावत पुत्र नन्हके और अपने 7 से 8 अन्यसाथियों को मौके पर बुला लिया और वादी के साथ मारपीट किया और वादी की लाइसेंसी पिस्टल मय 05 जिन्दा कारतूस व गले से सोने की आधी चेन छीन कर भाग गये। इस सूचना पर थाना काकोरी पर मु0अ0सं0 293/21 धारा 395 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस0एस0आई0 श्री सुधीर कुमार यादव थाना काकोरी द्वारा की जा रही है, जिनके द्वारा बताया गया कि वादी रेस्टोरेट चलाता है।

MEDIA